

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 157/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पता-19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री रोटान सिंह निवासी ग्राम पांचूडाला तहसील कोटपूतली जिला
जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security interest Act,2002

उपस्थित :- श्री सुरेन्द्र सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 14.07.2022

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री रोटान सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम पांचूडाला स्थित पट्टा संख्या 79, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 210 वर्गगज को बंधक रख कर 6,40,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भली भाँति अवलोकन किया गया।
- प्रार्थी वित्तीय बैंक को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 6,40,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि रुपये




जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

7,21,867 /—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The Securitization and Econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री रोटान सिंह के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ग्राम पाचूडाला स्थित पट्टा संख्या 79, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 210 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर